

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 16.11.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- ❖ थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अ0सं0-185/20 धारा-3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वारन्टी अभियुक्त राजू पुत्र सुलेमान नि0 गांधीनगर थाना सिकन्दरा का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना रुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज पुत्र सन्नू कंजड उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम पिलखनी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 389/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना रुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहित कठेरिया पुत्र S/O पप्पू कठेरिया निवासी रेरी थाना रुरा का0दे0 द्वारा वादिनी की पुत्रियों को देखकर अश्लील गाने गाते हुये और गन्दे -2 इशारे करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 390/2024 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 20 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रुरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों तथा थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों तथा थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।